कम्प्यूटर परिपत्र सं0-आडिट-/ / 1112042 / वाणिज्य कर
परिपत्र सं0- 774 / आडिट

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0,
(आडिट अनुभाग)
दिनांक ::: लखनऊ ::: 22 जुलाई, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय : पंजीयन प्रार्थना पत्र में संशोधन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

मा0 लोक लेखा समिति की विभिन्न बैठको में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अर्न्तगत व्यापार के स्वामित्व परिवर्तन, शाखा घटाने / बढ़ाने, मान्यता प्रमाण पत्र अथवा केन्द्रीय पंजीयन में कुछ वस्तुओ को बढ़ाने आदि का जो प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है, वह अधिकारियो / कर्मचारियो की लापरवाही के कारण पत्रावली में ही बिना निस्तारण के पडा रहता है । बाद में आडिट आपत्ति के उपरान्त अथवा अपील स्तर पर पता चलता है कि व्यापारी ने इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र दिया है । कुछ मामलो में यह विलम्ब 8-10 वर्षो तक का भी पाया गया है ।

मा0 लोक लेखा समिति ने इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया है । अत: इस संबंध में वैट अधिनियम 2008 के नियम-4 का उपनियम-6 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार से निर्देश जारी किए जाते है ।

- व्यापार में परिवर्तन संबंधी कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर व्यापारी सुविधा केन्द्र से वह सीधे कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त कराया जाएगा । कर निर्धारण अधिकारी प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसे एक रजिस्टर में अंकित करायेगे । यह रजिस्टर खण्डाधिकारी के पास ही रहेगा, जिसे वह स्थानान्तरण के समय कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को सौपेगे ।
- कर निर्धारण अधिकारी प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि के 30 दिनो के अन्दर इसका निस्तारण करेगें । यदि व्यापार में परिर्वतन संबंधी विवरण स्वीकार किए जाते है तो उसे व्यापारी के पंजीयन प्रमाण पत्र / कार्यालय प्रति पर प्रभावी दिनांक के साथ परिर्वतनो को अंकित करेगें । यदि किसी कारण से कार्यालय प्रति गोपनीय पत्रावली पर नही है तो परिवर्तन के उपरान्त व्यापारी के प्रमाणपत्र की छायाप्रति कराकर उसे प्रमाणित करते हुए गोपनीय पत्रावली पर रखेगे ।
- जिन मामलो में व्यापारी द्वारा शाखा बढाए जाने अथवा किसी शाखा को बन्द किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया जाता है , तो ऐसे प्रार्थना पत्रों का निस्तारण संबंधित

बढाई गई शाखा अथवा बन्द की गई शाखा के स्थल की जॉच करने के उपरान्त ही संशोधन किया जाए । यदि बढाई / बन्द की गयी शाखा अन्य जिले में स्थित है तो ऐसे प्रार्थना पत्र को तत्काल संबंधित खण्डाधिकारी को जॉच हेतु प्रेषित किया जाए जिस पर अन्य जिले में स्थित संबंधित खण्डाधिकारी द्वारा 10 दिनो के अन्दर जॉच कर जॉच रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाए ।

- खण्डाधिकारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र संबंधित खतापालक को गोपनीय पत्रावली पर रखने हेतु देगे तथा रजिस्टर पर खातापालक के नाम के साथ उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेगे ।
- ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) कार्यालय निरीक्षण के समय उपरोक्त रजिस्टर का अनिवार्य रुप से निरीक्षण करेगे ।
- माह जुलाई व अगस्त, 2011 में अभियान चलाकर इस प्रकार के अनिस्तारित प्रार्थनापत्रो का पता लगाया जाए व उनका भी शीघ्र निस्तारण किया जाए ।

इस परिपत्र में दिए गए निर्देशो का शत प्रतिशत अनुपालन कराना जोनल एडीशनल कमिश्नर एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) की जिम्मेदारी होगी ।

इस परिपत्र की आवश्यक छायाप्रतियॉ करवाकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को प्राप्त करा दें ।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
2- महालेखाकर (वाणिज्य एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद / शाखा लखनऊ ।
3- मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क / कम्प्यूटर / निरीक्षण अनुभागो को 5-5 प्रतियो सहित ।
4- निदेशक कर एवं प्रशिक्षण संस्थान, विभूति खण्ड, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- आडिट अनुभाग को 25 अतिरिक्त प्रतियॉ ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (आडिट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।